प्रेषक,

संख्या– /XX–4/2018–1(163)/2014

उदयवीर सिंह यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 01 अगस्त 2018

विषय– जनपद, उधमसिंहनगर में जिला कारागार के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–42/09/निर्माण/2014–15/18, दिनांक 09–04–2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कार्यदायी संस्था सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकियात्मक कार्यो यथा Structur pal designing, विभिन्न घटकों की विस्तृत आन्तरिक डिजाईन, कार्यस्थल की मृदा जांच, Bearing capacity test इत्यादि हेतु गठित आगणन रू0 26.02 लाख उपलब्ध कराते हुये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद, उधमसिंहनगर में जिला कारागार के निर्माण के सम्बन्ध में उक्त वर्णित प्रकियात्मक कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा टी0ए0सी0 सहित गठित आगणन रू0 26.02 लाख (रू0 छब्बीस लाख, दो हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य को समय से पूर्ण कराने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था के साथ अनुबन्ध (MOU) किया जायेगा।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नही किया जायेगा।
4. समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
6. आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में मात्र अपरिहार्य स्थिति में सक्षम अधिकारी की सहमति के पश्चात ही परिवर्तन किया जायेगा।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित), 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वर्णित प्रकियात्मक कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित विस्तृत कार्ययोजना (डी0पी0आर0) शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृति धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार किया जाय।
11. वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02.04.2018 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–10 के लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 80–सामान्य 051–निर्माण 02–जेलों का निर्माण/भूमि कय–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति एवं अ0शा0 संख्या–104 मतदेय /XXVII(5) /2018–19, दिनांक 30 जुलाई, 2018 के क्रम में एवं संलग्न अलॉटमेण्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
अपर सचिव

संख्या–961/XX–4/2018–1(163)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड सिचांई विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. वित्त अनुभाग–5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

आवंटन पत्र संख्या - 961/XX-4/2018-1(163)/2014

Secretary, Home (S019)

अनुदान संख्या - 010

अलोटमेंट आई डी - S1808100014

HOD Name - Inspector General Prisons (2471)

आवंटन पत्र दिनांक -01-Aug-2018

1: लेखा शीर्षक

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

051 - निर्माण

02 - जेलों का निर्माण/ भूमि क्रय (40598080004 से स्थानांतरित)

00 - ज

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	34000000	2602000	36602000
	34000000	**2602000**	**36602000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2602000